



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)

(सं० पटना 736) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@vkjki&01&33@2018-8976/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

16 अगस्त 2021

श्री चन्दन कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 942/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर के विरुद्ध जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 240/गो० दिनांक 07.09.2019 द्वारा गठित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा गठित आरोपों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप है :-

आरोप सं०-1 ।-दिनांक 18.07.2017 को जिला अनुकम्पा समिति की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित थी जिसमें श्री चन्दन कुमार, वरीय उप समाहर्ता अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें तथा दुरभाष के माध्यम से सूचना देने के बावजूद इनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया, जिससे अनुकम्पा समिति की बैठक में व्ययधान हुआ।

आरोप सं०-2 ।-दिनांक 12.03.2018 के अत्यन्त महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक निर्धारित की गई थी तथा माध्यमों से उन्हें इस बैठक में उपस्थित होने हेतु संसूचित किया गया परन्तु वे बैठक से अनुपस्थित रहे।

आरोप सं०-3 ।-चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिनांक 10.04.2018 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मोतिहारी आगमन के दौरान श्री चन्दन कुमार, वरीय उप समाहर्ता को मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। माननीय प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मोतिहारी आगमन की प्रारम्भिक तैयारियों की समीक्षा हेतु दिनांक 16.03.2018, 20.03.2018, 23.03.2018 एवं 24.03.2018 को बैठक आयोजित की गयी थी, परन्तु बैठकों से ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गये।

आरोप सं०-4 ।-दिनांक 26.03.2018 को एस०एस०बी० द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु दिनांक 25.03.2018 को अपराह्न 08:00 बजे इनकी खोज की गयी। इनका मोबाईल बंद पाया गया एवं इनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। पुनः दिनांक 26.03.2018 को 02:00 बजे अपराह्न माननीय प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मोतिहारी, आगमन की प्रारम्भिक तैयारियों की समीक्षा हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं महानिदेशक, नमामि गंगे परियोजना-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नोडल पदाधिकारियों की बैठक से भी ये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 926/गो० दिनांक 26.03.2018 से कारण-पृच्छा की गयी, परन्तु उनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

आरोप सं०-5 ।-प्रत्येक सप्ताह बुधवार को प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने निर्धारित प्रखंड मुख्यालय में जाकर प्रखंड स्तरीय सभी कार्यों की समीक्षा करनी है। इसी के तहत दिनांक 09.05.2018 (बुधवार) एवं 16.05.2018 (बुधवार) को अपने निर्धारित प्रखंड मुख्यालय में जाकर प्रखंड स्तरीय सभी कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराने का निदेश इन्हें दिया गया था, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया।

आरोप सं०-6 ।-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-3092 दिनांक 29.06.2018 द्वारा स्थानांतरित श्री राज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को विरमित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उनके द्वारा धारित अन्य पदों का संपूर्ण प्रभार प्राप्त करने का निदेश इन्हें इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 917/स्था० दिनांक 30.06.2018 द्वारा दिया गया। दूरभाष/मोबाईल से संपर्क करने के बाद इनके द्वारा बताया गया कि ये मुख्यालय से बाहर है। इनके द्वारा मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त नहीं किया गया था और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। इनकी इस अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उनके द्वारा धारित अन्य पदों का ससमय प्रभार नहीं दिलाया जा सका।

विभागीय पत्रांक 15067 दिनांक 06.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 210 दिनांक 24.08.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 9121 दिनांक 01.10.2020, पत्रांक 1452 दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से मंतव्य की मांग की गई, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद मंतव्य अप्राप्त रहा।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा दूरभाष के माध्यम से सूचना देने के बावजूद बैठक में भाग नहीं लेने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है। श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में लगाये गये सभी आरोपों से इनकार किया गया है। उनके द्वारा स्पष्टीकरण में चिकित्सीय/अन्य कारणों से विभिन्न बैठकों/मुख्यालय से अनुपस्थिति रहने का उल्लेख किया गया है, किन्तु अनुपस्थिति के संबंध में उनके द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों से अवकाश स्वीकृत किये जाने से संबंधित कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। प्रतिवेदित आरोप एवं संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्री कुमार आदतन आवश्यक बैठकों/मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते थे। उनके द्वारा महत्वपूर्ण बैठकों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता था। श्री कुमार माननीय प्रधान मंत्री के प्रस्तावित मोतिहारी के आगमन की तैयारी हेतु समीक्षात्मक बैठक से अनुपस्थित रहें एवं मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, जो एक वरीय पदाधिकारी के लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता द्योतक है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रशासनिक प्रकृति का है। वे कई महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठकों/माननीय प्रधान मंत्री के प्रस्तावित यात्रा जैसे महत्वपूर्ण तैयारियों से संबंधित बैठक में सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति लिए बिना अनुपस्थित पाये गये। सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, अकर्मण्यता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलन करने संबंधी आरोपों के लिए (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के प्रस्ताव पर श्री चन्दन कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 942/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18),

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 736-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>